

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 182 / 2016

तारीख रजु 29.11.2016

उनवान

1. श्रीमती श्यामो देवी पत्नी देवी सिंह जाति जाट निवासी पटोंदा तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाम

1. गुट्टर पुत्र हीरालाल वगै0 जाति जाट निवासी महु हाल छत्रिपुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 06

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 16.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दाबा ग्राम महुखास तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1077 में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा दाबा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादीगण वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दाबा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 182/2016 श्रीमती श्यामो देवी बनाम गुट्टर वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

